388

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

अ पिल - 2928 - II · 16

श्री आलिक राम श्रीवास्तव, अधि. द्वारा आज दि 30-8-16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 30-8-16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामऋषी पिता धनीराम गुप्ता,
2. सन्तोष पिता रामऋषी गुप्ता,
3. दिनेश पाण्डेय पिता रामफल पाण्डेय,
4. शोभनाथ पिता रामसुन्दर गुप्ता,
5. धनीराम पिता रामसुन्दर गुप्ता,
6. रमेश पिता रामसुन्दर गुप्ता,
7. राजेश कुमार पिता कन्हैयालाल अग्रवाल,
8. मुकेश पिता कन्हैयालाल अग्रवाल,
9. श्रीमती शान्तिी देवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल अग्रवाल,
10. जगदीश पिता रामदुलारे अग्रवाल,
11. पुरुषोत्तम पिता रामदुलारे अग्रवाल,
12. रामेश्वर पिता घीसल प्रसाद गुप्ता,
13. शिव प्रसाद पिता रामनाथ बानी

सभी निवासी ग्राम जमुनिहा, पोस्ट केशवाही, तहसील जैतपुर, जिला शहड़ोल, (म0प्र0)

.... अपीलान्टगण

30/8/2016

बनाम

1. सुखलाल पिता राजाराम सिंह गोड़, निवासी ग्राम गिरवा, तहसील जैतपुर, जिला शहड़ोल, (म0प्र0)
2. मदन पिता बलदेव नापित,
3. साधूलाल पिता बलदेव नापित,

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2928–दो / 2016 जिला शहडोल

रामऋषि आदि विरूद्ध सुखलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28–2–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदकगण की ओर से श्री कुवंरसिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 02, 03 04, 05 / अपील / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ यह प्रकरण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 170(ख) के अन्तर्गत अपर कलेक्टर द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील का प्रावधान न होकर निगरानी का प्रावधान है। दिनांक 19–9–2016 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकरण को निगरानी मानकर सुनवाई कर ग्राह्य किया गया था। चूंकि अब म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को आयुक्त शहडोल संभाग के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/2/19 सदस्य	